



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11022021-225098
CG-DL-W-11022021-225098

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 05] नई दिल्ली, जनवरी 31—फरवरी 6, 2021 शनिवार/ माघ 11— माघ 17, 1942
No. 05] NEW DELHI, JANUARY 31—FEBRUARY 6, 2021, SATURDAY/MAGHA 11—MAGHA 17, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2020

का. आ. 83.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (i) के उपबंध इंडियन बैंक पर लागू नहीं होंगे, जहां तक इसका संबंध इंडियन बैंक की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सुश्री पदमजा चुंदरू को दिनांक 31.8.2021 तक की अवधि के लिए अर्थात् उनकी अधिवर्षिता की आयु तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में नामिती निदेशक/गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने से है।

[फा. सं. 13/5/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Financial Services)**

New Delhi, the 18th November 2020

S. O. 83.—In exercise of the powers conferred by Section 53(1) of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), Government of India on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-clauses (i) of clause (c) of sub-section (1) of Section 10 of the said Act shall not apply to Indian Bank in so far as it relates to the nomination of Ms. Padmaja Chunduru, Managing Director and Chief Executive Officer, Indian Bank to the Board of Universal Sampo General Insurance Company Limited as a nominee Director/Non-executive Chairperson, for a period up to 31.8.2021, *i.e.*, the date of her superannuation, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 13/5/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2020

का. आ. 84.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (i) के उपबन्ध इण्डियन ओवरसीज बैंक पर लागू नहीं होंगे, जहां तक इसका संबंध बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता के दिसम्बर 2022 के 31वें दिन तक की अवधि के लिए यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के पद पर बने रहने से है।

[फा. सं. 13/4/2020-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 18th November 2020

S. O. 84.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declare that the provisions of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply to Indian Overseas Bank in so far as it relates to its Managing Director and Chief Executive Officer Shri Partha Pratim Sengupta being on the Board of Universal Sampo General Insurance Company Limited as its additional Nominee Director for a period up to the 31st day of December, 2022.

[F. No. 13/4/2020-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.